


बिहार सरकार
मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

आदेश

का0आ0सं0-V/उ0-2-04/2016.....3055...../श्री एकरामुल हक, निरीक्षक मद्यनिषेध, गोपालगंज को स्थानान्तरित करते हुए बी0एस0बी0सी0एल0, पटना में निरीक्षक मद्यनिषेध के रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है।


2. श्री हक का स्थानान्तरण अभ्यावेदन के आधार पर हुआ है, अतः स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
3. स्थानान्तरित निरीक्षक मद्यनिषेध को नवपदस्थापन कार्यालय में योगदान देने हेतु अविलंब विरमित करना सुनिश्चित करेंगे।
4. यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा।
5. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।


(श्रीकृष्ण पासवान)
संयुक्त आयुक्त मद्यनिषेध
बिहार, पटना।

ज्ञापांक सं०:- V/उ0-2-04/2016

3055 पटना, दिनांक-.....22.08.19

प्रतिलिपि-समाहर्ता, गोपालगंज/प्रबंध निदेशक, बी0एस0बी0सी0एल0, पटना/उपायुक्त मद्यनिषेध, तिरहुत-सह-सारण प्रमंडल/अधीक्षक मद्यनिषेध, गोपालगंज/श्री एकरामुल हक, निरीक्षक मद्यनिषेध को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


संयुक्त आयुक्त मद्यनिषेध
बिहार, पटना।